रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062020-219718 CG-DL-E-04062020-219718

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1554] No. 1554] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2020/ज्येष्ठ 14, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2020/JYAISHTHA 14, 1942

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(महिला कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2020

का.आ. 1736(अ).—अपने 2020-21 के बजट भाषण के दौरान भारत की माननीय वित्त मंत्री ने संसद में कहा था कि 'वर्ष 1929 के शारदा अधिनियम में संशोधन करते हुए 1978 में महिलाओं के विवाह की आयु सीमा बढाकर 15 वर्ष से 18 वर्ष की गई। जैसे-जैसे भारत तरक्की कर रहा है, महिलाओं के शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आगे बढने के अवसर बन रहे हैं। महिला मातृत्व दर में कमी लाना तथा पोषण के स्तरों में सुधार लाना अनिवार्य है। मातृत्व में प्रवेश करने वाली बालिका की आयु से जुड़े संपूर्ण मुद्दे को इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। मैं एक कार्यबल नियुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं जो अपनी अनुशंसाएं छह माह की समयाविध में देगी। '(संदर्भ: वर्ष 2020-21 के बजट भाषण का पैरा 67)

2. परिणामस्वरूप भारत सरकार ने मातृत्व की आयु से संबंधित मामलों, मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) घटाने की अनिवार्यता, पोषाहार के स्तरों में सुधार तथा इससे जुड़े अन्य विषयों के परीक्षण के लिए एक कार्यबल का गठन किया है।

3. कार्यबल का गठन इस प्रकार किया जाता है:

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1	सुश्री जया जेटली (नई दिल्ली)	अध्यक्ष
2	डॉ. विनोद पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग	सदस्य (पदेन)
3	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
4.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य (पदेन)

2380 GI/2020 (1)

5.	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य (पदेन)
6.	सचिव, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	सदस्य (पदेन)
7	सचिव, विधायी विभाग	सदस्य (पदेन)
8	सुश्री नजमा अख्तर (नई दिल्ली)	सदस्य
9.	सुश्री वसुधा कामथ (महाराष्ट्र)	सदस्य
10.	सुश्री दीप्ती शाह (गुजरात)	सदस्य

4. कार्यबल के संदर्भ बिंदु निम्नानुसार होंगे:

- i. विवाह और मातृत्व की आयु के सह-संबंध (को-रिलेशन) का परीक्षण करना (क) गर्भावस्था, जन्म तथा उसके बाद की स्थितियों में जननी और नवजात/शिशु/बच्चों की स्वास्थ्य, चिकित्सकीय कुशल-क्षेम और पोषण की स्थिति से, (ख) नवजात मृत्यु दर (आईएमआर), मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर), कुल ऊर्वरता दर (टीएफआर), जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी), बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) आदि जैसे प्रमुख मानकों से तथा (ग) इस संदर्भ में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े अन्य किन्ही सुसंगत बिंदुओं से।
- ii. महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना।
- iii. कार्यबल की सिफारिशों के समर्थन के लिए उपयुक्त विधायी उपाय एवं/अथवा मौजुदा कानुनों में संशोधन सझाना।
- iv. कार्यबल की सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिए समय सीमा के साथ एक विस्तृत कार्य-योजना तैयार करना ।
- v. आवश्यकता के अनुसार कार्यबल अपनी बैठकों में अन्य विशेषज्ञों को बुला सकते हैं।
- vi. कार्यबल को सचिवालयी सहायता नीति आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और यह 31 जुलाई, 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. डब्ल्यूडब्ल्यू/75/2020/डब्ल्यूडब्ल्यू (ई-86196)] आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(WOMEN WELFARE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2020

- **S.O.** 1736(E).—Hon'ble Finance Minister of India, during her Budget Speech for 2020-21 in the Parliament stated that "Women's age of marriage was increased from fifteen years to eighteen years in 1978, by amending erstwhile Sharda Act of 1929. As India progresses further, opportunities open up for women to pursue higher education and careers. There are imperatives of lowering MMR as well as improvement of nutrition levels. Entire issue about age of a girl entering motherhood needs to be seen in this light. I propose to appoint a task force that will present its recommendations in six months' time.." (Ref.: Para 67 of the Budget Speech for FY 2020-21).
- 2. Consequently, the Government of India has set up a Task Force to examine matters pertaining to age of motherhood, imperatives of lowering MMR, improvement of nutritional levels and related issues.
- 3. The composition of the Task Force is as under:

Sl. No.	Name of Member	Designation
1	Ms. Jaya Jaitly (New Delhi)	Chairperson
2	Dr. Vinod Paul, Member (Health), Niti Aayog	Member (Ex-officio)
3	Secretary, M/o Health and Family Welfare	Member (Ex-officio)
4	Secretary, M/o Women & Child Development	Member (Ex-officio)
5	Secretary, D/o Higher Education	Member (Ex-officio)

6	Secretary, D/o School Education & Literacy	Member (Ex-officio)
7	Secretary, Legislative Department	Member (Ex-officio)
8	Ms. Najma Akhtar (New Delhi)	Member
9	Ms. Vasudha Kamath (Maharashtra)	Member
10	Ms. Dipti Shah (Gujarat)	Member

4. The Terms of Reference of the Task Force are as follows:

- i. To examine the correlation of age of marriage and motherhood with (a) health, medical well-being and nutritional status of mother and neonate/infant/child, during pregnancy, birth and thereafter, (b) key parameters like Infant Mortality Rate (IMR), Maternal Mortality Rate (MMR), Total Fertility Rate (TFR), Sex Ratio at Birth (SRB), Child Sex Ratio (CSR) etc. and (c) any other relevant points pertaining to health and nutrition in this context.
- ii. To suggest measures for promoting higher education among women.
- iii. To suggest suitable legislative instruments and/or amendments in existing laws to support the recommendations of the Task Force.
- iv. To work out a detailed roll-out plan with timelines to implement the recommendations of the Task Force.
- v. The Task Force may invite other experts to its meetings if and as required.
- vi. The Task Force will be provided secretarial assistance by the NITI Aayog and will submit its report by 31st July, 2020.

[F. No. WW/75/2020-WW (e-86196)] ASHISH SRIVASTAVA, Jt. Secy.